इंजीनियर-ठेकेदार गठजोड़ की निरंकुशता को लेकर परिषद में हुआ हंगामा

▶ पक्ष-विपक्ष के सभी पार्षदों ने एकजुट होकर की कार्रवाई की मांग, सदन ने निर्धारित प्रक्रिया का दिया हवाला

नवभारत न्यूज

सतना 7 नवंबर. नगर निगम के सामान्य सम्मिलन में प्रस्तुत सभी एजेंडों को पार्षदों ने इस शर्त पर सर्व सम्मति से मंजूरी दे दी कि नगर के विकास और समस्यायों पर गंभीरता से चर्चा हो सके.

सदन की मंजूरी मिलने पर आरंभ हुई चर्चा में नगर निगम के इंजीनियर और ठेकेदारों के गठजोड़ के चलते निरंकुश कार्यशैली का मुद्दा छाया रहा. आलम यह रहा कि इस मामले में एक ओर जहां पक्ष-विपक्ष के पार्षद एकमत नजर आए वहीं दूसरी ओर महापौर ने भी कार्य में हुई लापरवाही को स्वीकार करने में गुरेज नहीं किया.

शुक्रवार को नगर निगम सभागार में आयोजित सामान्य सम्मिलन में पहला एजेंडा सामने आते ही पार्षदों ने कहा कि सभी एजेंडों को सर्वसम्मति से पास कर दिया जाए. लेकिन शहर के विकास और समस्यायों से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा अवश्य की जाए. पार्षदों को एकमत देख परिषद अध्यक्ष राजेश चतुर्वेदी द्वारा सभी एजेंडों को सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान कर दी गई. जिसके बाद शुरु हुई चर्चा में पार्षदों द्वारा अपने-अपने वार्ड से संबंधित समस्या और कार्य अवरुद्ध होने के मामलों को उठाया जाने लगा. नाली-नाले, सड़क निर्माण, सीवर लाइन का रेस्टोरेशन के रुके कार्य, पार्क से लेकर प्रमुख मार्गों में प्रकाश व्यवस्था का आभाव, और कचरा उठाव जैसे मामले में चली आ रही समस्या को पार्षदों ने जोर-शोर से उठाया. पार्षदों का कहना था कि साल भर पहले जिन कार्यों की फाइन बनी थी उन्हें बजट में कमी का बहाना बनाते हुए इंजीनियरों द्वारा रोक दिया जाता है. अब उनके कार्यकाल का डेढ़ साल ही बचा है. यदि वे कोई कार्य नहीं करा पाते हैं तो फिर आमजन के सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे. सभी पार्षद अपने-अपने वार्ड के रहवासियों के प्रति सीधे तौर पर जवाबदेह होते हैं. कार्य नहीं होने पर वार्ड वासियों की खरी-खोटी उन्हें ही सुननी पड़ती है. लेकिन ननि में पदस्थ इंजीनियर किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हैं. पार्षदों ने कहा कि वास्तविकता यह है कि ननि के इंजीनियर और ठेकेदारों का मजबूत गठजोड़ निरंकुशता की सारी हदें पार करता जा रहा है. नगर निगम में जनप्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं होती है. आलम यह रहा कि इसी कड़ी में वार्ड इंजीनियर की निरंकुशता से क्षुब्ध होकर वार्ड 33 के पार्षद संजू यादव ने उन्हें वहां से स्थानांतरित करने की मांग कर दी. पार्षद की मांग को देखते हुए निगमायुक्त द्वारा वार्ड इंजीनियर को शो कॉज जारी कर जवाब मांगने का आश्वासन दिया गया. इसी तरह की तीखी नोक-झोंक तब भी सामने आई जब नेता प्रतिपक्ष मिथलेश सिंह ने ननि की विद्युत शाखा प्रभारी इंजीनियर क्षिप्रा सिंह पर पार्षदों को गलत जानकारी देने के गंभीर आरोप लगाए. चर्चा के दौरान यह स्पष्ट भी हुआ कि इंजीनियर द्वारा नेता प्रतिपक्ष को गलत जानकारी दी गई थी. लिहाजा इस मामले में भी निर्धारित प्रक्रिया का हवाला देते हुए सदन द्वारा शो-कॉज जारी कर जवाब मांगे जाने के निर्देश दे दिए दिए गए.

प्रकाश व्यवस्था खस्ताहाल-पक्ष-विपक्ष, सभी पार्षदों ने एक सुर में सदन में यह समस्या उठाई कि शहर में प्रकाश व्यवस्था खस्ताहाल हो चुकी है. मेंटिनेंस करने वाले दोनों ठेकेदारों के पास न तो उपकरण होते हैं और न ही लाइटें. ऐसे में यदि एक स्थान की लाइट किसी तरह बन भी जाती है तो अगले 5 स्थानों की लाइट खराब हो जाती है. यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और पार्क, गलियां सहित प्रमुख मार्ग अंधेरे में डूबे रहते हैं. इस संबंध में यदि ननि और स्मार्ट सिटी के इंजीनियरों से शिकायत की जाती है तो वे जवाब देना तक जरुरी नहीं समझते. बिना लिफ्टर मशीन के ही ठेकेदार को टेंडर दे दिया गया और अब उनके द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे लाखों के बिल बिना किसी पूछ-परख के पास करते जा रहे हैं. कांग्रेस पार्षद अमित अवस्थी और नेता प्रतिपक्ष मिथिलेश सिंह ने तो गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ननि के इंजीनियरों की कार्यशैली इसी बात से समझी जा सकती है कि पूर्व अधिकारी की ठेकेदारों के साथ पार्टनरशिप थी.

दबाव देकर समाप्त की जांच

शहर में खस्तहाल होती जा रही प्रकाश व्यवस्था को लेकर लंबे समय से आवाज उठाते आ रहे वार्ड क्र. 20 के पार्षद मनीष टेकवानी ने सदन में चौथी बार इस समस्या को उठाने के साथ ही गंभीर आरोप लगाए. विद्युत लाइटों की गुणवत्ता को लेकर उनके द्वारा की गई शिकायत के मद्देनजर सदन द्वारा जांच समिति बनाई गई थी. मनीष के अनुसार जांच के दौरान ननि के इंजीनियरों द्वारा न सिर्फ ठेकेदार का अंधा समर्थन किया गया बल्कि उन्हें डरा-धमकाकर और दबाव देकर जांच को समाप्त करा दिया गया.

महापौर ने दिया 15 दिन का अल्टीमेटम

शहर की खस्तहाल होती जा रही प्रकाश व्यवस्था के संबंध में पक्ष-विपक्ष के पार्षदों द्वारा की गई चर्चा को सुनने के बाद महापौर योगेश ताम्रकार सहजता के साथ स्वीकार करते हुए कहा कि लाइट मेंटिनेंस के कार्य में लापरवाही हुई है इसमें कोई दो राय नहीं है. पहला तो मेंटिनेंस टीम के पास पर्याप्त संसाधन ही नहीं हैं और दूसरा उनके पास लाइट-उपकरण का स्टॉक भी नहीं होता. यह दोनों एजेंसियों की शुद्ध लापरवाही है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए. दोनों एजेंसियों को 15 दिन का चेतावनी पत्र जारी किया जाए और यदि इस अवधि में शहर के सभी 45 वार्डों की प्रकाश व्यवस्था नहीं सुधरी तो विशेष सम्मिलन बुलाकर उनका टेंडर टर्मिनेट कर दिया जाए. ननि की विद्युत प्रभारी क्षिप्रा और स्मार्ट सिटी के इंजीनियर अबोध दोनों मिलकर इस संबंध में आवश्यक चर्चा कर लें, जिसके बाद आगे की कार्रवाई शुरु हो सके. इसी कड़ी में महापौर द्वारा यह कड़ी ताकीद भी की गई कि ठेकेदारों को नगर निगम द्वारा किसी भी तरह की मशीन अथवा संसाधन उपलब्ध नहीं कराया जाए.

लव जिहाद : पहचान बदलकर नाबालिग से दुष्कर्म-ब्लैकमेलिंग

साजिश को परिजनों ने किया नाकाम, आरोपी गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

सतना 7 नवंबर. अपनी पहचान छिपाकर सोशल मीडिया के जरिए पहचान बढ़ाई और फिर झांसा देकर दुष्कर्म किया. जिसके बाद आपत्तिजनक वीडियो-फोटो बनाकर बालिका को ब्लैकमेल कर शरीरिक शोषण करता रहा. इतना ही नहीं बल्कि आरोपी ने बालिका को भगा ले जाने की भी पूरी तैयारी कर ली थी. लेकिन ऐन वक्त पर भनक लगने पर परिजन रेलवे स्टेशन पहुंच गए और किसी तरह बालिका को बचा लिया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार रीव जिले के गुढ़ थाना क्षेत्र का निवासी हामिद खान नामक युवक ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म व्हाट्सऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बना रखी थी. इन आईडी के जरिए अपनी असली पहचान छिपाकर हामिद ने कश्यप के नाम से रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र की निवासी एक नाबालिग लड़की से दोस्ती कर ली. सोशल मीडिया पर तमाम तरह का झांसा देते हुए उसने करीबी बढ़ाई और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया. इसी कड़ी में हामिद ने नाबालिग लड़की की कई आपत्तिजनक वीडियो और फोटो बना लिए. जिसके आधार पर वह लड़की को ब्लैकमेल करते हुए उसका शारीरिक शोषण करने लगा. इतना ही नहीं बल्कि आपत्तिजनक फोटो और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करते हुए हामिद ने लड़की को घर से भागने पर बाध्य कर दिया. भारी मानसिक दबाव के चलते लड़की को अपना घर छोड़ना पड़ा और वह रामपुर बघेलान से सतना बस स्टैण्ड पहुंची. जहां पर हामिद उसे अपने साथ रेलवे स्टेशन ले गया. रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर हामिद उसे जबलपुर ले जाने वाला था. लेकिन इसी दौरान लड़की के परिजनों को भनक लग गई और वे भी रेलवे स्टेशन पहुंच गए. वहां पर हामिद के साथ देख परिजनों ने लड़की को वापस ले जाने की कोशिश शुरु कर दी. इस दौरान हामिद और परिजनों के बीच झूमाझटकी शुरु हो गई. मामला बढ़ता देख हामिद वहां से भाग निकला. लेकिन उसका मोबाइल वहीं पर गिर गया. जिसे खोलकर जब परिजनों ने देखा तो उनके होश उड़ गए. वहीं मोबाइल के जरिए हामिद के इरादे देखकर लड़की भी सहम गई.

विहिप-बजरंग दल ने दिया साथ

व्यवस्था की बानगी ऐसी कि जब हलाकान परिजनों ने मामले की शिकायत जीआरपी में करनी चाही तो कार्यक्षेत्र दूसरा होने का हवाला देते हुए उन्हें लौटा दिया गया. इतना ही नहीं बल्कि जब परिजन शिकायत करने के लिए कोलगवां थाने पहुंचे तो उन्हें वहां से भी बैरंग लौटा दिया गया. घटना की जानकारी होने पर विहिप बजरंग दल के कार्यकर्त्ता सक्रिय हुए और पीड़ित परिजनों के समर्थन में आकर खड़े हो गए. कार्यकर्त्ताओं की सक्रियता के चलते कोलगवां थाने में जीरो में कायमी की गई. जिसके बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी हामिद खान को गिरफ्तार कर लिया.

ईसीजीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

ईसीजीसी भवन, सीटीएस नंबर 393, 391/1 से 45, एम. वी. रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई - 400 069, भारत

• **टेलि.** : 022-66590 510 • **टोल फ्री क्र.** : 1800-22-4500 • **ई-मेल** : marketing@ecgc.in • हमें www.ecgc.in पर संपर्क करें।

आईआरडीएआई पंजीकरण संख्या : 124 सीआईएन : U74999MH1957GOI010918 — **पंजीकरण की तिथि : 27 सितंबर, 2002**

ECGC/HO/02/25-26 — **आप निर्यात पर ध्यान केंद्रित करें. हम जोखिमों से रक्षा प्रदान करेंगे।**

30 सितंबर 2025 को समाप्त अर्ध वर्ष के लिए समिक्षीत वित्तिय परिणाम

प्रपत्र एनएल-1-बी-आरए
राजस्व खाता

सं. क्र.	विवरण	अनुसूची संदर्भ प्रपत्र सं.	सितंबर 2025 को समाप्त अवधि के लिए (रु. लाख)	सितंबर 2024 को समाप्त अवधि के लिए (रु. लाख)
1	अर्जित प्रीमियम (निवल)	एनएल-4	538,30.92	516,02.35
2	निवेश की बिक्री / शोधन पर लाभ / हानि		17,53.19	17,54.55
3	ब्याज व लाभांश तथा किराया - सकल		156,03.80	178,73.21
4	अन्य			
	क) अन्य व्यय			
	(i) शुल्क		76.62	65.78
	(ii) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		1.01	2.05
	(iii) विविध आय		28.47	1,35.19
	ख) शेयरधारकों के खाते में योगदान			
	(i) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के प्रति		-	-
	(ii) प्रबंधक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ कार्यकारी निदेशक/ अन्य प्रमुख प्रबंधन कार्मिको के पारिश्रमिक के प्रति		-	-
	कुल (क)		**712,94.01**	**714,33.13**
6	उपगत दावे (निवल)	एनएल-5	454,11.78	(503,80.30)
7	कमीशन	एनएल-6	(13,93.96)	(27,76.19)
8	बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय	एनएल-7	188,42.20	163,82.55
9	प्रीमियम में कमी		-	-
	कुल (ख)		**628,60.02**	**(367,73.94)**
10	**विविध से परिचालन लाभ/(हानि) (ग) = (क-ख)**		**84,33.99**	**1082,07.07**
11	**विनियोजन**			
	शेयरधारकों के खाते में अंतरण		84,33.99	1082,07.07
	आपात प्रारक्षित निधियों में अंतरण		-	-
	अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण		-	-
	कुल (ग)		**84,33.99**	**1082,07.07**

प्रपत्र एनएल-2-बी-पीएल
लाभ व हानि खाता

सं. क्र.	विवरण	अनुसूची संदर्भ प्रपत्र सं.	सितंबर 2025 को समाप्त अवधि के लिए (रु. लाख)	सितंबर 2024 को समाप्त अवधि के लिए (रु. लाख)
1	**परिचालन लाभ / (हानि)**	एनएल-1		
	(क) अग्नि बीमा		-	-
	(ख) मरीन बीमा		-	-
	(ग) विविध बीमा		84,33.99	1082,07.07
2	**निवेशों से आय**			
	(क) ब्याज व लाभांश तथा किराया - सकल		450,30.44	403,88.81
	(ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ		49,89.84	39,05.30
	(ग) निवेशों की बिक्री पर हानि		-	-
	(घ) निवेश पर प्रीमियम/छूट की ऋणमुक्ति		(6,48.15)	(6,06.51)
3	**अन्य आय**			
	(क) अन्य ब्याज आय		2,19.67	5,63.90
	(ख) अन्य विविध आय तथा फैक्टरिंग आय		8.70	3,87.22
	कुल (क)		**580,34.49**	**1528,45.79**
4	**प्रावधान (कराधान के अलावा)**			
	(क) निवेशों के मूल्य में ह्रास के लिए		-	-
	(ख) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		(29.03)	1,99.61
5	**अन्य व्यय**			
	(क) बीमा कारोबार के अतिरिक्त अन्य व्यय		1,31.56	61.95
	(ख) खराब ऋणों को बट्टे खाते में डाला		-	-
	(ग) अधीनस्थ ऋण पर ब्याज		-	-
	(घ) सीएसआर गतिविधियों पर व्यय		6,24.34	6,38.75
	(ड) जुर्माने		-	-
	(च) पॉलिसीधारक खाते में योगदान		-	-
	(i) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के प्रति		-	-
	(ii) प्रबंधक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ कार्यकारी निदेशक/ अन्य प्रमुख प्रबंधन कार्मिको के पारिश्रमिक के प्रति		-	-
	कुल (ख)		**7,26.87**	**9,00.31**
6	**कर पूर्व लाभ / (हानि) (क-ख)**		**573,07.62**	**1519,45.48**
7	**घटाएँ**			
	(क) कराधान के लिए प्रावधान			
	- आस्थगित कर		37.74	2,19.25
	- चालू कर		130,00.00	371,89.00
	(ख) पूर्व अवधि समायोजन		0.40	(28,86.14)
	(ग) कर समायोजन - पूर्व वर्ष		(2,01.37)	5,15.76
8	**कर पश्चात लाभ / (हानि)**		**444,70.85**	**1169,07.61**
9	**विनियोजन**			
	(क) वर्ष के दौरान अदा किया गया अंतरिम लाभांश		-	-
	(ख) अदा किया गया अंतिम लाभांश		-	-
	(ग) फैक्टरिंग योजना के लिए प्रारक्षित निधियों में अंतरण		-	-
	(घ) सामान्य निधियों में अंतरण		-	-
	पिछले वर्ष से आगे लाये गए लाभ / हानि शेष		-	-
	तुलन पत्र में आगे लाये गए शेष		444,70.85	1169,07.61

प्रपत्र एनएल-3-बी-बीएस
तुलन पत्र

विवरण	अनुसूची संदर्भ प्रपत्र सं.	30 सितंबर 2025 को (रु. लाख)	30 सितंबर 2024 को (रु. लाख)
निधियों के स्रोत			
शेयर पूंजी	एनएल-8	4338,00.00	4338,00.00
प्रारक्षित निधियाँ तथा अधिशेष	एनएल-10	9157,66.71	8239,16.13
शेयर पूंजी के लिए अग्रिम राशि		-	-
उचित मूल्य परिवर्तन खाता - शेयरधारक		1253,51.57	1488,12.93
उचित मूल्य परिवर्तन खाता - पॉलिसीधारक		440,42.45	668,57.98
उधार	एनएल-11	-	-
कुल		**15189,60.73**	**14733,87.04**
निधियों के अनुप्रयोग			
निवेश - शेयरधारक	एनएल-12	13399,88.26	12088,99.83
निवेश - पॉलिसी धारक	एनएल-12ए	4708,06.66	5431,28.89
ऋण	एनएल-13	-	-
स्थिर परिसंपत्तियाँ	एनएल-14	445,47.56	424,01.23
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		27,08.95	41,61.52
चालू परिसंपत्तियाँ			
नकद तथा बैंक शेष	एनएल-15	1336,51.49	1301,46.02
अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियाँ	एनएल-16	797,01.03	975,61.62
उप कुल (क)		**2133,52.52**	**2277,07.64**
आस्थगित कर देयताएं (निवल)		-	-
चालू देयताएं	एनएल-17	4772,76.03	4755,70.80
प्रावधान	एनएल-18	751,67.19	773,41.27
उप कुल (ख)		**5524,43.22**	**5529,12.07**
निवल चालू परिसंपत्तियाँ (ग) = (क-ख)		**(3390,90.70)**	**(3252,04.43)**
विविध व्यय	एनएल-19	-	-
(बट्टे खाते में न डाली गयी अथवा असमायोजित सीमा तक)			
लाभ तथा हानि खाते में डेबिट शेष		-	-
कुल		**15189,60.73**	**14733,87.04**

प्रपत्र एनएल-20-विश्लेषणात्मक अनुपात अनुसूची
गैर जीवन कंपनियों के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात

सं. क्र.	विवरण	सितंबर 2025 को समाप्त अवधि के लिए	सितंबर 2024 को समाप्त अवधि के लिए
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृध्दि दर	9.20%	8.73%
2	निवल मालियत की तुलना में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात	0.05	0.05
3	निवल मालियत की वृद्धि दर	7.30%	16.63%
4	निवल प्रतिधारण अनुपात	82.46%	84.56%
5	निवल कमीशन अनुपात	-2.51%	-5.32%
6	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम की तुलना में प्रबंधन व्यय अनुपात	29.97%	27.97%
7	निवल अंकित प्रीमियम की तुलना में प्रबंधन व्यय अनुपात	31.85%	26.64%
8	निवल अर्जित प्रीमियम की तुलना में निवल अधिमानित दावे	84.36%	-97.63%
9	दावे प्रावधानों की तुलना में प्रदत्त दावे	3.39%	1.98%
10	सम्मिलित अनुपात	116.21%	-70.99%
11	निवेश आय अनुपात	7.52%	7.59%
12	निवल प्रीमियम की तुलना में तकनीकी प्रारक्षित निधियाँ अनुपात	8.69	9.20
13	हामीदारी संतुलन अनुपात	-16.77%	171.26%
14	परिचालन लाभ अनुपात	15.67%	209.69%
15	देयताओं की तुलना में चल परिसंपत्तियाँ अनुपात	0.52	0.46
16	निवल अर्जन अनुपात	80.09%	224.23%
17	निवल मालियत पर अर्जन अनुपात	3.30%	9.30%
18	आवश्यक शोधन क्षमता मार्जिन की तुलना में उपलब्ध शोधन क्षमता अनुपात	55.47	50.24
19	एन पी ए अनुपात		
	सकल एनपीए अनुपात		
	निवेश :	0.49%	0.52%
	फैक्टरिंग :	96.70%	88.71%
	निवल एनपीए अनुपात		
	निवेश :	0.49%	0.52%
	फैक्टरिंग :	96.70%	88.71%
20	ऋण हिस्सेदारी अनुपात	-	-
21	ऋण सेवा बीमाकृत राशि अनुपात	-	-
22	ब्याज सेवा बीमाकृत राशि अनुपात	-	-
23	प्रति शेयर अर्जन	10.25	26.95
24	प्रति शेयर अंकित मूल्य	311.10	289.93

नोट्स

1. यह सार्वजनिक प्रकटीकरण भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के परिपत्र संख्या आईआरडीएआई/एफएंडए/सीआईआर/एमआईएससी/256/09/2021 दिनांक 30 सितंबर, 2021 के अनुसार किया गया है।
2. उपरोक्त वित्तीय परिणामों की लेखा समिति द्वारा समीक्षा की गई और तत्पश्चात दिनांक 07 नवंबर, 2025 को हुई निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित किया गया है।
3. पिछले साल के आंकड़े जहाँ भी आवश्यक हो समायोजित / पुनः वर्गीकृत किये गए हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : मुंबई
दिनांक : 07 नवंबर, 2025

बीमा आग्रह की विषयवस्तु है।

हस्ताक्षर/-
(सृष्टिराज अम्बष्ठ)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डिआईएन - 10375617